



पतंजलि विश्वविद्यालय University of Patanjali

उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) : IQAC/08/01

दिनांक (Date) : 06/08/2021

सूचना/Notice

विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय ई.-ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन दिनांक 08 सितम्बर 2021 में कर रहा है।

इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों की सहभागिता अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

(डॉ. के.एन.एस.यादव)

समन्वयक, IQAC

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार